न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ई0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2024

अपीलांट–	बनाम	रेस्पोडेंट्स–
प्रतापसिंह पुत्र श्री हेमाराम जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार धोरीमन्ना 2. धनाराम पुत्र हेमाराम 3. प्रभूराम पुत्र हेमाराम 4. सोनाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 5. शीतलबेन पत्नि हंसराज जाति सोनी निवासी पनघट रोड़ बाड़मेर 6. बाबुलाल पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 374 दिनांक 01.02.2024 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड़, रेस्पोडेंट संख्या 3,4 व 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. श्री मुकेश गोयल, रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 22.04.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना के खसरा नंबर 9/11 कुल रकबा 4–2087 हैक्टेयर भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 01.02.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना के खसरा नंबर 389 / 11 कुल रकबा 4.2087 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान धना पुत्र हेमा, प्रतापा पुत्र हेमा, प्रभु पुत्र हेमा, सोना पुत्र हेमा कौम विश्नोई सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 30.01.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी ग्राम अजाणियों की ढाणी धोरीमन्ना खेत खसरा संख्या 389 / 11 रकबा 4–2087 हैक्टेयर में आया हुआ है। जिसका अपीलांट व उतरदाता ने सहमति से मुरड़ा रोड़ पर बराबर चार लोगो में बांटना तय किया तथा इसी अनुसार अपीलांट ने विश्वास कर सहमति दी तथा खाली नक्शे पर हस्ताक्षर करवा दिये परन्तु जब दो दिन पूर्व अपीलांट ने जब उक्त भूमि की जमाबंदी निकाली तो अपना खेत एक रास्ते के रूप मे लम्बाई मे दे दिया। उतरदाता संख्या 2 से 4 ने संयुक्त रखकर पुरी मुरड़ा रोड अपने पास रखी जबकि अपीलांट का कब्जा मुरड़ा रोड़ पर था। अपीलांट के कब्जा व सहमति से तय बंटवाडा विवादग्रस्त आराजी मे नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल के रूप में दर्शाया हुआ है जबकि उतरदाता संख्या 2 से 4 के खरीददार भूमाफिया है जिन्होंने [illegible] अपीलांट को बरंग हरा जो एक 30 फिट का रास्ता दिया है तथा [illegible] की 6–10 बीघा भूमि आधा किलोमीटर लम्बा रास्ता के [illegible] अपीलांट को धोखे मे रखकर हल्का पटवारी से मिलकर भू माफिया ने अपीलांट की भूमि किसी भी काम नहीं छोडी है। उतरदाता संख्या 2 से 4 ने विभाजन के तुरन्त बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उतरदाता संख्या 5 को बेचान कर दिया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार अपीलाधीन विभाजन नहीं हुआ हैं, जिसके कारण अपीलांट की मुरड़ा रोड़ की भूमि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना के खसरा नंबर 389 / 11 कुल रकबा 4–2087 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान धना पुत्र हेमा, प्रतापा पुत्र हेमा, प्रभु पुत्र हेमा, सोना पुत्र हेमा कौम विश्नोई सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 30.01.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में उक्त आदेश पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ खारिज योग्य हैं।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना के खसरा नंबर 389 / 11 कुल रकबा 4–2087 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान धना पुत्र हेमा, प्रतापा पुत्र हेमा, प्रभु पुत्र हेमा, सोना पुत्र हेमा कौम विश्नोई सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 30.01.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा खातेदारों की सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी ग्राम अजाणियों की ढाणी धोरीमन्ना खेत खसरा संख्या 389/11 रकबा 4–2087 हैक्टेयर में आया हुआ है। जिसका अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 4 ने सहमति से मुरड़ा रोड़ पर बराबर चार लोगो में बांटना तय किया तथा इसी अनुसार अपीलांट ने विश्वास कर सहमति दी तथा खाली नक्शे पर हस्ताक्षर करवा दिये। उतरदाता संख्या 2 से 4 ने संयुक्त रखकर पुरी मुरड़ा रोड अपने पास रखी जबकि अपीलांट का कब्जा मुरड़ा रोड़ पर था। इस प्रकार अपीलांट को धोखे मे रखकर हल्का पटवारी से मिलकर भू माफिया ने अपीलांट की भूमि किसी भी काम नहीं छोडी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट के खेत के 500 मीटर लम्बाई में 30 फिट का चौडा रास्ता बना दिया जिसमें न तो काश्त सम्भव है न ही बाड़ की जा सकती है और न ही उसमें कोई निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार भू माफिया ने दबाव बनाकर उनका फायदा उठाते हुए घोर अन्नाय किया है इसलिए आलौच्य आदेश अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना के खसरा नंबर 389/11 कुल रकबा 4–2087 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान धना पुत्र हेमा, प्रतापा पुत्र हेमा, प्रभु पुत्र हेमा, सोना पुत्र हेमा कौम विश्नोई सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 30.01.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट [illegible] की उपस्थिति में उक्त आदेश पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश [illegible] आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों [illegible] में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ खारिज योग्य है। अधिवक्ता पक्षकारान एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में जो सहमति उसके द्वारा दी गई है उसमें यदि कोई धोखा या छल होना मानता है तो उसके लिए फौजदारी मामला प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। हस्तगत अपील में अपीलांट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा एवं उसकी सहमति अनुसार नहीं हुआ है। इसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के पारित किया गया है लिहाजा अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested